निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964

(30 सितम्बर, 1986 तक संशोधित)

नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ होना

2. परिभाषाएं

3. कार्यालय का कार्यअवधि

4. आकस्मिक रिक्तियां

5. परिषद के कार्य

6. पदों का सृजन और अधिकारियों की नियुक्ति

7. परिषद के आदेशों और अन्य उपकरणों का सत्यापन।

***7* क** सत्यापन का एक प्राधिकरण और दस्तावेज़ों के सत्यापन का तरीका।

8. परिषद की कार्रवाइयां

9. यात्रा और दैनिक भत्ते

10. विशेषज्ञ समितियां

11. गुणता नियंत्रण और निरीक्षण की प्रक्रिया

11. क प्रमाणपत्र के संशोधन, निलंबन या रद्द करने की प्रक्रिया

12. गुणता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों की एजेंसी

13. परीक्षण गृहों, सर्वेक्षणकर्ताओं और सैम्पलर्स का अनुमोदन

14. परिषद् का कोष और उक्त कोष में जमा

क. निदेशक के अधिकार और कर्तव्य (परिषद् के पदेन सचिव के रूप सहित)

ख. अधिनियम की धारा *7* की उप-धारा (1) के तहत मान्यताप्राप्त अभिकरणों द्वारा प्रमाणित वस्तुओं का पुन: परीक्षण बजट आकलन तैयार करना,

15. बजट आकलन आदि तैयार करना

16. लेखाओं का लेखापरीक्षण

17. वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना

- फॉर्म सं.1 [देखें नियम 13 (1)]
- फॉर्म सं.2 [देखें नियम 13 (6)]
- फॉर्म सं.3 [देखें नियम 16 (1)]
- फॉर्म सं.4 [देखें नियम 16 (1)]

निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964

(30 सितम्बर, 1986 तक संशोधित)

एस.ओ. 3317. –निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ करना** – (1) इन नियमों को निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 कहा जाता है।

(2) ये 1 अक्तूबर 1964 से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा नहीं हो-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22);

(कक) "अपर निदेशक" का अर्थ है परिषद या अभिकरण के अपर निदेशक;

(ख) "अभिकरण" का अर्थ है गुणता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के लिए धारा 7 के तहत स्थापित या मान्यता प्राप्त कोई अभिकरण;

(खख) "प्रमाणपत्र" का अर्थ है गुणता नियंत्रण या निरीक्षण से वस्तु की संबंधित शर्त के साथ अनुरूपता बताने वाले अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के तहत जारी प्रमाणपत्र;

(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है परिषद के अध्यक्ष;

(घ) "परिषद" का अर्थ है धारा 3 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद;

(ङ) "परिषद के सदस्य" का अर्थ है परिषद के सदस्य;

(च) "समिति के सदस्य" का अर्थ है किसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य;

(छ) "निदेशक" का अर्थ है धारा 4 के तहत नियुक्त निरीक्षण और गुणता नियंत्रण के निदेशक;

(ज) "फॉर्म" का अर्थ है इन नियमों में शामिल किए गए फॉर्म;

(जज) "संयुक्त निदेशक" का अर्थ है परिषद या अभिकरण के संयुक्त निदेशक;

(झ) "सदस्य" का अर्थ है परिषद के सदस्य;

(ञ) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा;

(ट) "विशेषज्ञ समिति" का अर्थ है धारा 5 की उप धारा (3) के तहत परिषद द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति;

3. कार्यालय की कार्य अवधि - (1) धारा 3 की उपधारा (1) के बिन्दु (एफ) के तहत मनोनीत अध्यक्ष और सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय का पद भार संभालेंगे।

(2) परिषद का सदस्य बनने वाले किसी व्यक्ति की सदस्यता तब समाप्त होगी जब वह उसका कार्यालय का पदभार छोड़ता है और इस प्रकार रिक्त स्थान उस कार्यालय में आने वाले उसके उत्तरवर्ती द्वारा संभाला जाता है।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के बिन्दु (एफ) के तहत मनोनीत अध्यक्ष और सदस्यों को उनके कार्यालय में कार्यअवधि की समाप्ति पर पुन: नियुक्ति या पुन: मनोनीत करने की पात्रता होगी, जैसा मामला हो।

(4) धारा 3 की उपधारा (1) के बिन्दु (एफ) के तहत मनोनीत अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार को हस्तलिखित रूप में पत्र देकर अपने कार्यालय से त्यागपत्र दे सकते हैं और यह त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जब इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि समाप्त होने पर, इनमें से जो पहले हो।

(5) एक नामित या नियुक्त सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाएंगी यदि उसकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे, मानसिक रूप से असंतुलित हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए अथवा नैतिक कदाचार में शामिल होकर एक अपराधिक कार्य में अभियोजित हो।

4. आकस्मिक रिक्तियां

धारा 3 की उपधारा (1) के बिन्दु (एफ) के तहत मनोनीत अध्यक्ष और सदस्य के कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भरी जाएंगी और अध्यक्ष या सदस्य, जैसा मामला हो, उस रिक्ति पर नियुक्ति या मनोनीत व्यक्ति उस समय तक कार्यालय का कार्यभार संभालेगा जब तक उस व्यक्ति या अध्यक्ष का कार्यकाल है, जिसके स्थान पर उसे कार्यालय में पदभार की पात्रता है, यदि यह रिक्ति नहीं हुई होती।

5. परिषद के कार्य – अधिनियम द्वारा परिषद को सौंपे गए कार्यों के अलावा परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी।

(i.) विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट तथा सिफारिशों को प्राप्त और उन पर कार्यवाही करना।

(ii.) वित्तीय मामलों पर नियंत्रण।

(iii.) ऐसे अन्य मामलों से निपटना जिन्हें इसके कार्यों के लिए प्रशासन हेतु अनिवार्य पाया जाता है।

(iv.) ऐसी सभी कानूनी गतिविधियां करना जो अधिनियम के तहत इसके कार्यों के निवर्हन के प्रयोजन हेतु प्रेरक हों।

6. पदों का सृजन और अधिकारियों की नियुक्ति – परिषद द्वारा अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निवर्हन के प्रयोजन हेतु परिषद उतने पदों की संख्या का सृजन कर सकती है, जिनका अधिकतम वेतन प्रति मेनसम 1800 रु. से अधिक नहीं हो क्योंकि इसे अनिवार्य पाया गया है और इन पदों पर अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।

7. परिषद के आदेशों और अन्य उपकरणों का सत्यापन – परिषद के सभी आदेश और अन्य उपकरणों को सत्यापन उक्त अधिकारी या अधिकारियों के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा, जिन्हें इस विषय में परिषद द्वारा अधिकृत किया जाएं।

***7क* सत्यापन का एक प्राधिकरण और दस्तावेज़ों के सत्यापन का तरीका** – भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त किसी दस्तावेज़ को लगाने, मुहर लगाने या इस पर जमा करने के लिए दूतावास एवं वाणिज्यिक दूतावास अधिकारी (शपथ और

शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 3 द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति मुहर या हस्ताक्षर, किसी प्रकार की नोटरी गतिविधि करने के लिए निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 10 सी (7)(बी) के प्रयोजन हेतु विधिवत सत्यापित किया जाएंगा।

8. **परिषद की कार्रवाइयां** – (1) परिषद की प्रति 4 माह में कम से कम एक बैठक होगी और परिषद की सभी बैठकों का समन्वय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा परिषद के सचिव के हस्ताक्षर के तहत जारी सूचना द्वारा इसे बुलाया जाएगा।

(2) परिषद की बैठक बुलाने की प्रत्येक सूचना में इसके आयोजन की तिथि, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी और इसे बैठक होने की तिथि के कम से कम 15 दिन के पहले प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएंगा।

(3) परिषद की सभी बैठकों की सदस्यता अध्यक्ष करेंगे और यदि किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित है तो बैठक में मौजूद सदस्य उस बैठक के लिए एक अध्यक्ष का चयन करेंगे।

(4) 5 सदस्यों से बैठक का कोरम बनेगा, बशर्ते किसी बैठक को कोरम के कारण स्थगित किया जाता है और अगली बैठक उसी कार्यसूची पर आधारित होगी, चाहे कोरम उपस्थित या नहीं।

(5) अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य को मतदान का अधिकार है, परन्तु मतों की संख्या समान होने की प्रश्न पर इसका निर्णय परिषद द्वारा किया जाएगा, इसके साथ अध्यक्ष को मतदान का अधिकार होगा।

9. **यात्रा और दैनिक भत्ते** – (1) परिषद के सदस्य और समिति के सदस्यों के साथ केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी क्वासी सरकारी संस्थान, नैगम निकाय या सरकारी प्रतिष्ठान के कर्मचारी होने के नाते धारा 5 की उपधारा (2) के तहत सहयोग करने वाले सदस्यों को परिषद के धनकोष से किसी प्रकार के यात्रा अथवा दैनिक भत्ते लेने की पात्रता नहीं होगी, परन्तु वे अपने वेतन लेने के कार्यालय से इसे ले सकते है। (2) परिषद तथा समिति के अन्य सदस्यों (धारा 5 की उपधारा (2) के तहत सहयोग करने वाले सदस्यों सहित) को परिषद के धनकोष से इन भत्तों को प्राप्त करने की पात्रता होगी।

10. विशेषज्ञ समितियां – किसी भी वस्तु के लिए धारा 5 की उपधारा (3) के तहत परिषद एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकती है।

(2) विशेषज्ञ समिति में पूर्णत: परिषद के सदस्य या पूर्णत: अन्य व्यक्ति या परिषद के सदस्य आंशिक रूप से और अन्य व्यक्ति आंशिक रूप से हो सकते हैं, जैसा परिषद उपयुक्त समझे।

(3) जब विशेषज्ञ समिति में परिषद के सदस्यों के अलावा व्यक्ति हों तो परिषद द्वारा जहां तक संभव हों निम्नलिखित नाम के सभी या किसी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा :

i) वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान;

ii) राज्य सरकारें;

iii) संबंधित उद्योग और;

iv) गुणता नियंत्रण या निरीक्षण के बारे में गहरा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति।

(4) परिषद द्वारा विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में विशेषज्ञ समिति के सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है।

(5) एक विशेषज्ञ समिति की बैठकों में प्रक्रिया ऐसी होगी जिसका निर्धारण समिति द्वारा किया जाए।

(6) एक विशेषज्ञ द्वारा अतिरिक्त सदस्यों को लिया जा सकता है जो विशिष्ट प्राप्ति, ज्ञान या रुचि के अनुसार समिति की राय में इसके कार्यों के वहन में समिति की सहायता करने में सक्षम है।

(7) एक विशेषज्ञ समिति द्वारा कार्य के शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए अनिवार्य समझे जाने पर अनेक उप समितियों, पैनलों या कार्यकारी समूहों की नियुक्ति की जा सकती है।

(8) प्रत्येक विशेषज्ञ समिति उस वस्तु के संबंध में परिषद द्वारा भेजी गई सभी तकनीकी सामग्रियों की जांच करेंगी जिन्हें निर्यात से पहले अनिवार्य गुणता

नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के अधीन रखा जाना है (उस वस्तु के लिए मानकों की स्थापना, अंगीकार को मान्यता देने सहित) रखा जाना है तथा परिषद को सभी अनिवार्य सिफारिश की जाती हैं।

(9) प्रत्येक विशेषज्ञ समिति द्वारा अभिकरणों की मान्यता और स्थापना तथा परीक्षण गृहों, सर्वेक्षणकर्ताओं या सेंप्लरों के अनुमोदन के प्रश्न पर जांच और परिषद को सिफारिशें भी की जाएंगी।

11. गुणता नियंत्रण और निरीक्षण की प्रक्रिया – (1) जहां कही भारत के निर्यात व्यापार का विकास किया जाना है, केन्द्रीय सरकार का विचार है कि किसी भी वस्तु को निर्यात के पहले गुणता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों से गुजरना चाहिए, तब यह इसके बारे में अपने प्रस्ताव तैयार करेंगा।

(2) जब किसी प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के उपनियम (1) के तहत तैयार किया जाता है तो उसके द्वारा यह प्रस्ताव परिषद को भेजा जाएंगा और साथ ही साथ इस निर्देश के साथ शासकीय राजपत्र में प्रस्तावों का प्रकाशन किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति इस पर किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव देना चाहे तो इस प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर वह इन प्रस्तावों पर भेज सकते हैं।

(3) उपनियम (2) के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद परिषद निम्न प्रकार कर सकती है –

i) जनता से प्राप्त आपत्तियां या सुझाव;

ii) उक्त वस्तु के आयतन और निर्यात के रूझान तथा इसके निर्यात विस्तार की संभावना;

iii) अन्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा की सीमा;

iv) उक्त वस्तु को भारत से बाहर बिक्री बढ़ाने के लिए गुणता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों लागू करने की आवश्यकता; और

v) अन्य कोई तत्संबंधी कारक।

इन प्रस्तावों को आवधिक बैठकों या इस प्रयोजन के लिए आयोजित किसी बैठक में विचार किया जाए।

(4) ऐसी किसी बैठक में परिषद द्वारा गुणता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों और उस वस्तु के संबंध में मानक विशिष्टियां और एक चिंह या मुहर (यदि आवश्यक हो तो इसके डिज़ाइन सहित) के प्रकार के विषय में अपनी सिफारिशें दी जाएंगी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि ये वस्तु इस पर लागू होने वाली मानक विशिष्टियों के अनुरूप है या इसे उक्त मामले में सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की आवश्यकता है;

(5) जब एक विशेषज्ञ समिति को उपनियम (4) के तहत सिफारिशें करने की आवश्यकता है तो यह उपनियम (3) में बताएं गए मामलों के संबंध में जितना शीघ्र संभव हो अपनी सिफारिशें परिषद को देगी।

(6) परिषद की सिफारिशें या एक ऐसे मामले में जहां विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिशें की गई है, उक्त सिफारिशों में परिषद द्वारा किए गए कोई संशोधन परिषद द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे।

(7) परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 6 या धारा 8 के तहत अनिवार्य अधिसूचना जारी की जाएंगी।

11क प्रमाणपत्र के संशोधन, निलंबन या रद्द करने की प्रक्रिया – (1) जब अभिकरण के पास यह मानने का आधार कि यह प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा (7) के उपखण्ड (3) के तहत जारी किया गया है, अभिकरण द्वारा वस्तुओं की पुन:परीक्षा की जा सकती है।

i) भण्डारण के दौरान निर्यातक या निर्माता या समाशोधन ऐजेंट या नौवहन ऐजेंट या वेयर हाउस और शीत गृह के परिसर में;

ii) वस्तुओं के परिवहन के दौरान उपरोक्त उल्लिखित बिन्दु (1) में परिसर से पोत लदान के पत्तन तक किसी भी स्थान पर;

iii) नौवहन के पत्तन पर सामान उतारने के दौरान;

iv) सामान चढ़ाने के दौरान जहाज या हवाई जहाज में।

(2) वस्तुओं की पुन: परीक्षा निम्नानुसार की जाएगी

(क) पुन:परीक्षा को लिखित रूप से और उक्त सत्यापन पर अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक द्वारा अधिकृत किया जाएगा, संबंधित परेषण के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र को निलंबित कर दिया जाएगा।

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद या अभिकरण के साथ एक या एक से अधिक अधिकारियों द्वारा पुन: परीक्षा की जाएगी, जिन्होंने संबंधित परेषण का निरीक्षण पहले नहीं किया है।

(ग) पुन: परीक्षा कार्य निर्यातक अथवा निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में किया जाएगा या वस्तु की पुन: परीक्षा का कार्य उस वस्तु के लिए पहले से निर्धारित 7 दिन की अवधि के अंदर या अधिनियम की धारा 17 के तहत बनाए गए नियमों के अंदर किया जाएगा, इनमें से जो भी तिथि बाद में पड़े, जब से प्रमाणपत्र को निलंबित किया गया है।

(घ) पुन: परीक्षा के परिणामों पर विचार करने के बाद अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक द्वारा लिखित में यह आदेश दिया जा सकता है कि

i) परेषण को निर्यात के लिए जारी किया जाएगा;

ii) पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र को परेषण के भाग की सीमा तक संशोधित किया जाएगा जो मानक विशिष्टियां पूरी करते हैं;

iii) पहले जारी किया गया प्रमाणपत्र रद्द माना जाएगा;

iv) अन्य कोई आदेश जो उपयुक्त पाए जाएं।

बशर्ते कि ऐसे किसी प्रमाणपत्र को संशोधित, निलंबित या रद्द करने के पहले उक्त अधिकारी इसे संशोधित, निलंबित या रद्द करने के लिए अधिकृत है, द्वारा वह आधार प्रस्तुत किया जाएगा जिसके लिए प्रमाणपत्र धारक को इसे संशोधित/निलंबित और/या रद्द करने की आवश्यकता है, जिन्हें कथित नोटिस प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर उस आधार के विरुद्ध अपने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाएगा और कथित अधिकारी द्वारा इस अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा तथा इसके बाद वह अभ्यावेदन प्राप्त होने के 3 तीनों के अंदर अंतिम आदेश जारी करेगा।

12. गुणता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों की एजेंसी – (1) धारा 7 की उपधारा (1) के तहत एक अभिकरण के रूप में मान्यता पाने के इच्छुक कोई प्राधिकरण या संगठन केन्द्रीय सरकार के पास अपने संविधान के विवरण और अधिनियम में निर्दिष्ट अभिकरण के कार्य करने के लिए अपने संसाधनों के विवरण के साथ एक वचन प्रस्तुत करें कि वे अधिनियम और इन नियमों या अन्य किसी आदेश, निदेश या अनुदेश के प्रावधानों का पालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए, जारी किए गए या दिए जाते है (अथवा निदेशक)।

(2) ऐसे किसी प्राधिकरण या संगठन से आवेदन प्राप्त होने पर यदि केन्द्रीय सरकार अनिवार्य पूछताछ के बाद संतुष्ट है कि यह प्राधिकरण या संगठन या एक अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त है तो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त प्राधिकरण या संगठन को इन शर्तों के अधीन यदि कोई हो, जैसा अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है धारा 7 की उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण या संगठन के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

(3) यह मान्यता एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और इसे एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए समय-समय पर नवीकृत किया जा सकता है।

बशर्ते कि एक प्राधिकरण या संगठन को अपने उत्पाद प्रमाणित करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता दी गई है, उक्त मान्यता एक बार में अधिक से अधिक 3 वर्ष के लिए दी जाए और इसे एक बार में अधिक से अधिक 3 वर्ष अवधि के लिए नवीकृत किया जाए।

13. **परीक्षण गृहों, सर्वेक्षणकर्ताओं और सैम्पलर्स का अनुमोदन** – (1) धारा 7 की उपधारा (2) के तहत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए परीक्षण गृह के प्रभारी अधिकारी या सर्वेक्षणकर्ता या सेंप्लर द्वारा फॉर्म 1 में निदेशक को आवेदन दिया जाएगा, जिसमें परीक्षण गृह में उपलब्ध उपकरण और सुविधाओं के विवरणों का एक विस्तृत वक्तव्य अथवा निरीक्षण की योजना या परीक्षण, जिसे सर्वेक्षणकर्ता या सेंप्लर द्वारा भौतिक या रासायनिक परीक्षण करने के लिए अपनाया जाता है, पिछला अनुभव, परीक्षण इकाई में कार्यरत कर्मचारी और उस परिसर का एक सामान्य परिव्यय, जिसमें परीक्षण और नमूने का कार्य प्रस्तावित है।

(2) आवेदन प्राप्त होने के बाद निदेशक द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की पूरक जानकारी या आवेदन में उसके द्वारा प्रस्तुत किसी वक्तव्य के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य निर्देश में बताई गई समय सीमा के अंदर मांगे जाते हैं और जहां आवेदक इन निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(3) निदेशक द्वारा आवेदन के साथ आवेदक के विवरण और अन्य जानकारी परिषद को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो पूछताछ के बाद इसे उपयुक्त पाने पर केन्द्रीय सरकार के पास भेजने की सिफारिश करेंगी कि इसे अनुमोदन दिया जाए या नहीं।

(4) सिफारिशें करते समय परिषद द्वारा नकद प्रतिभूति की राशि और प्रतिभू के स्वभाव की जानकारी दी जाएगी जिसे आवेदक द्वारा अनुमोदन के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा परीक्षण गृह, सर्वेक्षणकर्ता या सेंप्लर को अनुमोदन दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और जहां यह अनुमोदन दे दिया जाता है तब केन्द्रीय सरकार के पास परीक्षण गृह के प्रभारी अधिकारी या सर्वेक्षणकर्ता या सेंप्लर द्वारा उस नकद प्रतिभूति राशि या

प्रतिभू के साथ एक बॉन्ड प्रस्तुत किया जाता है जैसा निर्धारित फॉर्म के प्रयोजन के लिए अनिवार्य है।

(6) आवेदक द्वारा अपेक्षित बॉन्ड भरने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के तहत एक अधिसूचना और आवेदक हेतु फॉर्म 2 में एक प्रमाणपत्र भी जारी किया जाएगा जो अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए वैध होगा जैसा इसमें निर्दिष्ट किया गया है।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पूर्व एक आवेदन दिया जाएगा ताकि इसे अधिक से अधिक 1 वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाए।

(8) परीक्षण गृह का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक सर्वेक्षणकर्ता और प्रत्येक सेंप्लर इस नियम के तहत अनुमोदित होने पर निम्नलिखित विवरण युक्त एक अर्धवार्षिक वक्तव्य निदेशालय में जमा करेगा:

i) परीक्षण या नमूना लेने या सर्वेक्षण के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या
ii) कार्यवाही किए गए आवेदनों की संख्या

iii) उन मामलों की संख्या जिन्हें गुणता के प्रमाणपत्र जारी किए गए है
iv) वस्तुओं की गुणता और मूल्य
v) उन मामलों की संख्या जिनमें गुणता प्रमाणपत्र अस्वीकार किए गए हैं।

14. परिषद् का कोष और उक्त कोष में जमा – (1) परिषद के धनकोष में निम्नलिखित शामिल होंगे-

i) उक्त धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा केन्द्रीय सरकार को अनुदान, ऋण या अन्य किसी रूप में किया जाएगा;

ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित द्वारा निकायों और संस्थानों से अनुदान या दान
iii) अन्य स्रोतों से परिषद की आय प्राप्तियां

(2) परिषद के कोष में स्थित सभी धनराशि उक्त अनुसूचित बैंकों में जमा की जाएगी जैसा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और परिषद द्वारा किसी अधिकारी को बैंक खाते का प्रचालन करने के लिए अधिकृत किया जा सके।

14क निदेशक (परिषद् के पदेन सचिव सहित) के अधिकार और कर्तव्य -

i) धारा 6 और इससे जुड़ें मामलों के तहत अधिसूचित वस्तुओं को गुणता नियंत्रण और लदान पूर्व निरीक्षण को लागू करेगा और इसकी विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करेगा;

ii) अभिकरणों के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण, जहां तक वे गुणता नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित हैं;

iii) धारा 7 के तहत स्थापित अभिकरणों के कर्मचारियों, लेखा और अभिलेखों पर पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण रखना;

iv) अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन परिषद के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना और कथित परिषद के लेखा और अभिलेख रखना।

v) हटाया गया।

14ख अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत मान्यताप्राप्त अभिकरणों द्वारा प्रमाणित वस्तुओं का पुनः परीक्षण बजट आकलन तैयार करना – निदेशक या उनकी इच्छानुसार एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 7 के तहत मान्यता प्राप्त किसी अभिकरणों द्वारा जारी वस्तुओं का पुनः परीक्षण करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जैसा नियम 11 क में बताया गया है और इस पुन:परीक्षा के दौरान मान्यताप्राप्त अभिकरण का एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

15. बजट आकलन आदि तैयार करना – बजट अनुमान, व्यय की स्वीकृति, निवेश करने और अन्य ऐसे मामलों से संबंधित प्रक्रिया विधि का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन सहित परिषद द्वारा किया जाए।

16. लेखाओं का लेखापरीक्षण – लेखा का लेखापरीक्षण – (1) परिषद द्वारा प्राप्त धनराशि के सभी लेन-देनों के संबंध में लेखा की उचित पुस्तकें बनाई जाएंगी और विस्तारित की जाएंगी तथा उन मामलों के संदर्भ में, जिनमें प्राप्ति और व्यय होते हैं, सभी

बिक्री और खरीद, परिसम्पत्तियों और देयताओं के विषय में, ताकि परिषद और इसके कार्यालयों के मामलों का एक सत्य और इसके कार्यालयों का एक सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके तथा इसके लेन-देन को समझाया जा सके एवं आय तथा व्यय लेखा और समझाया जा सके, जैसा क्रमश फॉर्म 3 और 4 में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा निर्धारित किया गया है अथवा इन परिस्थितियों में जितना संभव हो और उकत आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनपत्र पर सदस्य सचिव और परिषद के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) परिषद के लेखा का भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षण किया जाएगा और उक्त लेखापरीक्षण के संबंध में उनके द्वारा किए गए किसी व्यय का भुगतान परिषद द्वारा किया जाएगा।

(3) भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा परिषद के लेखा के लेखा परीक्षण के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार के समान अधिकार और लाभ तथा प्राधिकार होंगे, विशेष रूप से उसे परिषद के कार्यालय के संदर्भ में पुस्तकों, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज़ तथा पत्र मांगने का अधिकार होगा।

(4) भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार या इसके लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित परिषद के लेखा को वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और सरकार इसे संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करेगा।

17. वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना – निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरणों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 9 माह के अंदर संसद के सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।

फॉर्म 1

परीक्षण गृह/सर्वेक्षणकर्ता/सेम्प्लर के रूप में मान्यता पाने हेतु आवेदन

(देखें नियम 13 (1))

भाग 1

प्रति
निदेशक, निरीक्षण और गुणता नियंत्रण
वाणिज्य मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,

मैं/हम, जो ..... नाम और शैली के तहत जानी जाती है, निम्नलिखित वस्तुओं के लदान-पूर्व निरीक्षण के लिए अनुमोदित परीक्षण गृह/सर्वेयर/सेम्प्लर के रूप में मान्यता पाने के इच्छुक हैं और आवेदन के दूसरे भाग में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. मैं/हम एतद द्वारा घोषित करते हैं कि जब मुझे/हमें प्रतिभूति के साथ उचित रूप में एक बॉन्ड के निष्पादन के लिए बुलाया जाएगा, जैसा अधिनियम या नियमों या केन्द्रीय सरकार की ओर से निदेशक द्वारा जारी किसी आदेश के तहत निर्धारित कर्तव्यों का वफादारी सहित करने के लिए हम बाध्य हैं।

3. मैं/हम इसके साथ शुल्क के रूप में ..... रु. का एक रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हैं (यह शुल्क वापसी योग्य नहीं है, चाहे आवेदक को मान्यता मिले या नहीं)।

4. मैं/हम केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर परीक्षण, सर्वेक्षण या नमूने लेने कार्य करने का वचन देते हैं।

5. मैंने/हमने पोत लदान पूर्व निरीक्षण, परीक्षण सर्वेक्षण और नमूने लेने के विषय में नियम पढ़ लिए हैं और इनके पालन को वचन देता हूँ।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर और सील या मुहर

भाग 2

फर्म के संघटकों के नाम के साथ स्थित और रुचि की सीमा

1. नाम ..... स्थिति और रुचि की सीमा।

2. वे स्थान जहां शाखा कार्यालय और प्रयोगशालाएं स्थित हैं।

3. प्रत्येक प्रयोगशाला का विस्तृत विवरण :-
   (क) उपकरणों के नाम और विवरण आदि उपलब्ध
   (ख) अन्य उपलब्ध उपकरण
   (ग) इन प्रयोगशालाओं में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के नाम और पते।

4. क्षेत्र में पिछला अनुभव, यदि कोई हो तो।

5. दस निर्यातकों या विदेशी आयातकों के नाम, जिनके लिए निरीक्षण, सर्वेक्षण और नमूने लेने आदि का कार्य किया गया।

6. वस्तु का नाम और सर्वे/निरीक्षण/नमूना ली गई कुल मात्रा।

7. क्या इनमें से किसी सर्वेक्षण रिपोर्ट की क्रेता द्वार अस्वीकार किया गया ? यदि हां तो इसके विवरण दिए जाएं।

8. निरीक्षण/सर्वेक्षण/नमूने लेने के व्यवसाय में कब से संलग्न हैं।

9. संदर्भदाता, यदि कोई हो: (यहां तीन सम्मानित निर्यात गृहों और तीन विदेशी आयात गृहों के नाम दें, जिन्हें आप व्यवसाय की प्रतिष्ठा के लिए संदर्भदाता के रूप में बताना चाहेंगे)।

10. बैंकरों के नाम, जिनके नाम आवेदक की वित्तीय स्थिति के बारे में दिए जा सकते हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर और सील या मुहर

प्रमाणपत्र संख्या :

फॉर्म नं. 2

(देखें नियम 13 (6))

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

परीक्षण गृह/सर्वेयर/सेम्प्लर का अनुमोदन प्रमाणपत्र

निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 (2) के संदर्भ में परीक्षण गृह/सर्वेयर/सेम्पलर, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं, को निर्यात के लिए आशयित वस्तुओं के परीक्षण/सर्वेक्षण/नमना लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया विधि के साथ संकलित किया गया है।

नाम .....

पता .....

प्रयोगशाला/परीक्षण गृह का स्थान .....

।। इस अनुमोदन से इसके धारकों को परीक्षा की जा रही वस्तुओं के मालिकों से वस्तुओं का परीक्षण करने और निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963, शुल्क प्रभारित करने के लिए इसके तहत जारी नियम और आदेशों में दिए गए मामले में प्रमाणपत्र जारी करने तथा उक्त का अधिकार मिलता है, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

।।। यह अनुमोदन ..... से ..... तक वैध है और इसका नवीकरण निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 मे निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार किया जा सकता है।

निदेशक, निरीक्षण और गुणता निरीक्षण
भारत सरकार के लिए और उनकी ओर से

नई दिल्ली
तिथि

फॉर्म 3

(देखें नियम 16 (1))

निर्यात निरीक्षण परिषद

..... को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

व्यय			*आय*		
पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)	विवरण	वर्तमान वर्ष के आंकड़े (रु.)	वर्तमान वर्ष के आंकड़े (रु.)	विवरण	वर्तमान वर्ष के आंकड़े (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1 स्थापना		1. सरकारी अनुदानों के अलावा आय प्रत्याशियों के आवेदन शुल्क द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन		
	अधिकारियों को भुगतान		सामान्यीकृत अधिमानी प्रणाली के तहत उद्भव प्रमाणमत्र जारी करने का शुल्क		
	कर्मचारियों का भुगतान		प्राप्त विदेशी सेवा योगदान से ब्याज द्वारा अन्य आय द्वारा (निर्दिष्ट किया जाए)		
	मंहगाई भत्ते में		**2. सरकारी अनुदान**		
	अन्य भत्तों में		3. निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा प्रचालित विभिन्न लदान पूर्व निरीक्षण योजनाओं की कमी पूरी करने के लिए सरकार से प्राप्त विपणन विकास कोष से अनुदान।		
	(सीसीए, एचआरए)		4. तुलन पत्र में ले जाई गई आय से अधिक व्यय की अधिकता		
	यात्रा भत्ते में				

क) अधिकारी
ख) कर्मचारी
ग) परिषद और अन्य समिति
सदस्य
चिकित्सा सहायता के लिए
कर्मचारी कल्याण के लिए सहायता
अवकाश वेतन और पेंशन के
योगदान हेतु या परिषद में
प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के
समकक्ष
सीपीएफ में परिषद के योगदान के
प्रति
अन्य स्थापना प्रभार (निर्दिष्ट किए
जाएं)

2. अन्य प्रभार

स्टेशनरी
मुद्रण और बाइंडिंग
डाक और तार व्यय
कार्यालय का किराया
आवास
बिजली प्रभार
टेलीफोन
लेखापरीक्षण शुल्क
मरम्मत और नवीकरण
भर्ती के विज्ञापन के लिए
अंशदान और सदस्यता शुल्क
स्थानीय परिवहन प्रभार
मूल्यहास
व्यय के अन्य निर्दिष्ट मद
विविध
प्रचार
विपणन विकास

विभिन्न लदान पूर्व निरीक्षण के प्रचालन के लिए

मूल्य ह्रास पूरा करने हेतु निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को भुगतान-विपणन विकास कोष

विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम

विदेश से आए प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

विदेश की समितियों/परिषद/अन्य समान प्रकार के निकायों में भागीदारी

व्यापारिक मेले/शिष्ट मण्डल में भागीदारी

सामान्यीकृत अधिमानी प्रणाली के तहत उद्भव प्रमाणपत्र

सम्मेलनों/गोष्ठियों और ऐसी अन्य गतिविधियों का आयोजन

अन्य निर्दिष्ट व्यय

तुलन पत्र में लाए गए व्यय पर आय की अधिकता

फॉर्म 4

(देखें नियम 16 (1))

निर्यात निरीक्षण परिषद

..... को तुलन पत्र

पिछले वर्ष के आंकड़े (रु.)	*देयताएं*	वर्तमान वर्ष के आंकड़े (रु.)	*परिसम्पत्ति*		वर्तमान वर्ष के आंकड़े (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. पूंजीलेखा (व्यय से अधिक आय का शेष या आय और व्यय खाते से अंतरित)		अचल परिसम्पत्ति (सभी मदों पर व्यय के बीच जहां तक संभव हो विभेद करना)		
	2. आरक्षित और अधिशेष (यदि बनाए गए हों तो निर्दिष्ट करें)		2. निवेश		
	3. प्रतिभूत ऋण		3. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम		
	4. अप्रतिभूत ऋण		क. वर्तमान परिसम्पत्ति निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		
	5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान		स्टॉक और भण्डार		
			विविध देनदार		
	क. वर्तमान देयताएं		ट्रांज़िट में		
			चैक/ड्राफ्ट/आईपीओ		
	वेतन और अन्य व्यक्तिगत दावे		कार्यालय में नकद		
	कर्मचारियों को देय		बैंक में शेष		

अंशदायी भविष्य निधि,
उपदान कोष
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता और पारिश्रमिक, जमा राशि, प्रतिभूति जमा, अन्य जमा (निर्दिष्ट किया जाए)

प्रोद्भूत ब्याज किन्तु ऋण पर देय नहीं

ख. प्रावधान, पेंशन तथा कर्मचारियों के लाभ की अन्य समान योजनाएं, आकस्मिकताएं अन्य प्रावधान (निर्दिष्ट किया जाए)

ख. ऋण और अग्रिम

कर्मचारियों को देय अग्रिम पर लगने वाला ब्याज (गृह निर्माण, वाहन खरीद और इसी प्रकार के अन्य अग्रिम)

कर्मचारियों को देय ब्याज मुक्त अग्रिम (त्योहार, बाढ़, यात्रा, वेतन, चिकित्सा, एलटीसी और इसी प्रकार के अन्य अग्रिम)

क्षेत्रीय/उपकार्यालयों के स्थायी अग्रिम (इमप्रेस्ट, परिक्रामिक टीए और अन्य ऐसे अग्रिम)

निम्नलिखित के पास जमा विविध अग्रिम
कार्यालय के लिए
मकान मालिक
टेलीफोन प्राधिकरण
डाक प्राधिकरण
विद्युत प्राधिकरण
अन्य जमा
(निर्दिष्ट किया जाए)
पूर्व भुगतान किए गए व्यय (किराए का अब तक उपयोग न किया गया हिस्सा, दरें, कर, ड्यूटी और बीमा)